भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 33
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ,1947 (शक) को दिया जाना है।)

राज्यों को विदेशी सहायता

33. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के अंतर्गत विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने 2018 में केरल में आई बाढ़ के बाद विदेशी सहायता स्वीकार करने के केरल सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) राज्यों के लिए विदेशी सहायता स्वीकार करने के क्या मानदंड हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ)

गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार,

- भारत सरकार द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को कोई अनुमति नहीं दी गई है।
- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफ. सी. आर. ए.) की धारा 11 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति विदेशी अंशदान तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने केंद्र सरकार से पंजीकरण प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं कर ली हो। पंजीकरण या पूर्व अनुमति के लिए आवेदन मंत्रालय के पोर्टल https:// www. //fcraonline. nic. in. के माध्यम

से फार्म क्रमश: एफसी-3क और एफसी-3ख में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। इन आवेदनों के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि एसोसिएशन का ज्ञापन, गतिविधि रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, और पदाधिकारियों द्वारा शपथ पत्र/घोषणाएं, जैसा कि विनियमों के तहत निर्धारित किया गया है, संलग्न होने चाहिए।

अधिनियम की धारा 12 (4) के तहत पात्रता शर्तों के पूरा करने पर पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, जिसमें वैध अस्तित्व, समाज के लाभ के लिए वास्तविक गतिविधियों में संलग्नता आदि शामिल हैं।

इन प्रावधानों के अनुसार, मुख्यमंत्री राहत कोष, महाराष्ट्र, जो एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में निगमित एक भिन्न कानूनी इकाई है, ने स्वतंत्र रूप से एफ. सी. आर. ए. के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया है। इसके आवेदन की जांच और सभी वैधानिक शर्तों की संतुष्टि पर, एफ. सी. आर. ए. पंजीकरण मई 2025 में प्रदान किया गया था।

- एफ. सी. आर. ए. पोर्टल के अनुसार, एफ. सी. आर. ए., 2010 के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति के लिए कोई भी आवेदन मुख्यमंत्री संकट राहत कोष (सी. एम. डी. आर. एफ.), केरल से प्राप्त नहीं हुआ था।
- इसके अलावा, एफ. सी. आर. ए. की धारा 50 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 30 जनवरी 2020 की अधिसूचना सं. 459 (ई) के तहत केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी भी प्रशासनिक अथवा कार्यकारी आदेश द्वारा या उसके अंतर्गत गठित या स्थापित संगठनों (जो राजनीतिक दल नहीं हैं), और जिनके खातों को अनिवार्य रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) या सीएजी की किसी भी एजेंसी द्वारा ऑडिट करने की आवश्यकता है, को एफसीआरए के सभी प्रावधानों से छूट प्रदान की है।

*****